सुधीर मित्तल से पहले, जे.

गुरविंदर सिंह और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 16150

16 मई, 2018

भारत का संविधान 1950-मास्टर/मालकिन की पदोन्नति-याचिकाकर्ता को अप्रैल 2012 और जुलाई 2012 के आदेश के अनुसार सामाजिक अध्ययन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन दिसंबर 2010 से ऐसा माना जाता है कि ऐसे मास्टर्स ने 2010 से सामाजिक अध्ययन मास्टर के पद पर कब्जा कर लिया है और परिणामस्वरूप पी. जी. टी. अर्थशास्त्र के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक दो साल का आवश्यक शिक्षण अनुभव रखते हैं-"वास्तविक" शब्द को अभिव्यक्ति में नहीं पढ़ा जा सकता है।

आयोजित, याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति आदेशों के अवलोकन में कोई संदेह नहीं है कि उन्हें डब्ल्यू. ई. एफ. 12.12.2010 पदोन्नत किया गया था।इस प्रकार, यह माना जाएगा कि उन्होंने उक्त तिथि से सामाजिक अध्ययन मास्टर के पद पर कब्जा कर लिया है और परिणामस्वरूप 01.01.2014 पर उनके पास आवश्यक शिक्षण अनुभव है।नियमों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "दो साल का शिक्षण अनुभव" है।यह आवश्यकता याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरी की जाती है।

(पैरा 6)

आगे कहा कि उपरोक्त टिप्पणियां इस मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू होती हैं।इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास 01.01.2014 के रूप में आवश्यक अनुभव था और वे उस तारीख से पीजीटी अर्थशास्त्र के रूप में पदोन्नत होने के हकदार थे जब उनके देशवासियों को दिनांकित 26.04.2016 के आदेश के अनुसार पदोन्नति दी गई थी।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ताओं की ओर से, अधिवक्ता जगबीर मलिक

अनिल मेहता, डी. ए. जी, हरियाणा

सुधीर मित्तल, जे।

(1) याचिकाकर्ताओं को 89 दिनों की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर क्रमशः 03.01.1998 और 01.01.1998 पर जेबीटी शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।अनुबंध का समय-समय पर नवीनीकरण किया जाता था और अंत में उनकी सेवाओं को दिनांक 01/10/2022 के आदेश द्वारा नियमित किया जाता था।

03.02.2004/29.12.2003.इसके बाद, उन्हें 30.07.2012/17.04.2012 जो 12.12.2010 के आदेश के अनुसार सामाजिक अध्ययन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया।वर्ष 2016 में, याचिकाकर्ताओं और अन्य सामाजिक अध्ययन मास्टर/मालकिन को पीजीटी अर्थशास्त्र के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था।प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 02.04.2016 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के मामले को इस आधार पर स्थगित कर दिया गया था कि उनके पास 01.01.2014 पर दो साल का शिक्षण अनुभव नहीं था।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के लिए अपनी सिफारिश को इस आधार पर दोहराया कि याचिकाकर्ताओं को सामाजिक अध्ययन मास्टर डब्ल्यू. ई. एफ. के रूप में पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार, उन्होंने आवश्यक शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया था।नतीजतन, वे पदोन्नति के पात्र थे।हालाँकि, सरकार ने दिनांक 26/04/2016 के आदेश के माध्यम से 2090 टीजीटी को बढ़ावा दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं के नाम उक्त आदेश में शामिल नहीं किए गए।इस कार्रवाई को वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

(2) प्रतिवादी की ओर से जवाब दायर किया गया है जिसमें यह रुख अपनाया गया है कि 01.01.2014 पर याचिकाकर्ताओं का वास्तविक शिक्षण अनुभव दो साल से कम है।याचिकाकर्ताओं के संबंधित पदोन्नति आदेश दिनांकित 30.07.2012/17.04.2012 हैं और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उनका वास्तविक शिक्षण अनुभव कट ऑफ तिथि यानी

01.01.2014 पर दो साल से कम था।इस प्रकार, वे कट ऑफ तिथि पर पदोन्नति के हकदार नहीं थे।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने उस पदोन्नति के आदेश को प्रस्तुत किया जो दिनांक 30.07.2012/17.04.2012 के अनुसार याचिकाकर्ताओं को सामाजिक अध्ययन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था, यह स्पष्ट करता है कि पदोन्नति पूर्वव्यापी जो 12.12.2010 थी।जिस तिथि के संदर्भ में पदोन्नति के मामले पर विचार किया जा रहा है वह 01.01.2014 है।इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास दो साल से अधिक का अनुभव है और उन्हें पदोन्नति से इनकार करना अवैध है।रिलायंस को आर. सी. जैन, सहायक कार्यकारी में पारित निर्णय पर रखा गया है।

इंजीनियर बनाम हरियाणा राज्य विद्‌युत बोर्ड *

(4) विद्वान राज्य वकील लिखित बयान में किए गए कथनों को दोहराते हैं।

(5) हरियाणा राज्य शिक्षा विद्यालय संवर्ग (समूह बी) सेवा नियम, 2012 याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति को नियंत्रित करता है।नियम 9 (i) (g) में प्रावधान है कि पीजीटी अर्थशास्त्र के मामले में 67 प्रतिशत रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और 33 प्रतिशत रिक्तियों को अनुबंध के आधार पर भरा जाना है।

---

* 1995(2) आर. एस. जे. 411

टी. जी. टी. सामाजिक अध्ययन के बीच से या किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा पदोन्नति।नियमों के परिशिष्ट 'बी' में पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तें प्रदान की गई हैं जो कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम. ए. अर्थशास्त्र/अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र/व्यवसाय अर्थशास्त्र और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एड., टी. जी. टी. सामाजिक अध्ययन के रूप में दो साल का

शिक्षण अनुभव और योग्य एच. टी. ई. टी./एस. टी. ई. टी. होने का प्रमाण पत्र है। कथित तौर पर, याचिकाकर्ताओं के पास दो साल का शिक्षण अनुभव नहीं है।क्या ऐसा ही है?

(6) याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति आदेशों के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्हें डब्ल्यू. ई. एफ. 12.12.2010 पदोन्नत किया गया था।इस प्रकार, यह माना जाएगा कि उन्होंने उक्त तिथि से सामाजिक अध्ययन मास्टर के पद पर कब्जा कर लिया है और परिणामस्वरूप 01.01.2014 पर उनके पास आवश्यक शिक्षण अनुभव है।नियमों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "दो साल का शिक्षण अनुभव" है।यह आवश्यकता याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरी की जाती है।"वास्तविक" शब्द को अभिव्यक्ति में नहीं पढ़ा जा सकता है।आर. सी. जैन (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः-

“प्रतिद्वंद्वी दलीलों से, यह स्पष्ट है कि आदेशों (अनुलग्नक पी-8 और पी-9) द्वारा, याचिकाकर्ता को जूनियर इंजीनियर-। के साथ-साथ सहायक इंजीनियर के रूप में पूर्वव्यापी पदोन्नति दी गई है।याचिकाकर्ता को दी गई ये पूर्वव्यापी पदोन्नति स्वाभाविक रूप से उसे जूनियर इंजीनियर-। डब्ल्यू. ई. एफ. अप्रैल, 1973 और सहायक इंजीनियर डब्ल्यू. ई. एफ. के रूप में माने जाने का अधिकार देगी।तार्किक रूप से, याचिकाकर्ता को 1.10.1974 से प्रभावी सहायक अभियंता का पद धारण करने वाला माना जाएगा और यह माना जाएगा कि उसने पदोन्नति की अपनी मानित तिथि के आधार पर सहायक अभियंता के पद पर अनुभव प्राप्त किया है।”

(7) उपरोक्त टिप्पणियां इस मामले के संदर्भ में पूरी तरह से लागू होती हैं।इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास 01.01.2014 के रूप में आवश्यक अनुभव था और वे उस तारीख से पीजीटी अर्थशास्त्र के रूप में पदोन्नत होने के हकदार थे जब उनके हमवतन को दिनांकित 26.04.2016 के आदेश के अनुसार पदोन्नति दी गई थी।

(8) तदनुसार, याचिका की अनुमति दी जाती है।अनिवार्य प्रकृति का एक रिट जारी किया जाता है जिसमें प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे दिंनाक 01/01/2014 से याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए योग्य समझें और तदनुसार, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उनके देशवासियों को पदोन्नति दिए जाने की तारीख से उन्हें पी. जी. टी. अर्थशास्त्र के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करें।

याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों के अनुदान के भी हकदार होंगे।

—---

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यंन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

दिव्या रानी